समय सीमा 02.12.2021

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

कमांक 999 /आर–955/2021/ब–1/चार भोपाल दिनांक 25/11/2021

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
मध्यप्रदेश

विषयः– द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2021–2022 का विधान सभा में उपस्थापन ।

–000–

वित्तीय वर्ष में द्वितीय **अनुपूरक अनुमान** का विधानसभा में उपस्थापन आगामी विधान सभा सत्र में किया जाना संभावित है।

2/ वर्ष 2021–2022 के **द्वितीय अनुपूरक अनुमान** में निम्नांकित स्वरूप की मदें ही सम्मिलित की जावेगी :–

(i) जिनके लिये राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया हो ।

(ii) जिनके लिये वित्त विभाग द्वारा सहमति दी गई हो ।

(iii) जिनके लिये भारत सरकार/अन्य एजेन्सी से वित्तीय सहायता/केन्द्रांश स्वीकृत की गई है तथा जो विद्यमान मदों से विमुक्त न की जा सकती हो तथा जिस हेतु अतिरिक्त संसाधन की व्यवस्था प्रशासकीय विभाग अन्य प्रचलित योजनाओं में उपलब्ध राशि में से कटौती कर बचत की राशि से नहीं कर पायेगें।

(iv) वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 539/915/2020/ब–1/चार, दिनांक 18/06/2021 के अनुसार केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं (CSS) के राज्यांश आहरण हेतु पृथक बजट लाईनों को प्रतीक प्रावधान से खोले जाने हेतु (यदि प्रथम अनुपूरक 2021–22 में नहीं खोले जा सके हों तो)

3/ ऐसे नवीन मदों के प्रस्ताव सम्मिलित नहीं किये जा सकेगें जिनमें राज्य के वित्तीय संसाधनों से अतिरिक्त मांग की जा रही हो । वाहन कय के प्रस्ताव शामिल नहीं किये जावेंगे ।

4/ वित्तीय वर्ष 2021–2022 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान के प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग सक्षम प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त **आई.एफ.एम.आई.एस. से ऑनलाईन वित्त विभाग को दिनांक 02/12/2021 तक निश्चित रूप से प्रेषित करने का कष्ट करें।** अनुपूरक अनुमान से संबंधित संक्षेपिका (हिन्दी में) संलग्न निर्धारित दो प्रपत्रों में आई.एफ.एम.आई.एस. में ऑनलाईन प्रस्ताव के साथ अनिवार्य रूप से अपलोड किये जायें। कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि निर्धारित प्रपत्र के सभी स्थानों की आवश्यक पूर्ति कर दी गई है। योजनाओं के अंतर्गत व्यय हेतु सेगमेंट एवं विकास शीर्ष अवश्य ही लिखे जायें । कृपया लेखा शीर्ष का पूर्ण विवरण का सही परीक्षण कर लें।

5/ जिन मदों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त होनी है, उनकी संक्षेपिका, केन्द्रीय सहायता की राशि, जो राज्य को ऋण एवं अनुदान के रूप में प्राप्त होगी, का लेख करते हुए आवश्यक रूप से संलग्न की जाये। इसी प्रकार यदि कोई व्यय, जिसके लिये राशि मांगी जा रही है, उसे यदि स्वीकृत बजट की बचत से लेखों में समायोजित होना है, तो उसके संबंध में अनुदान संख्या एवं शीर्ष सहित, कृपया पूर्ण विवरण दिया जाये ।

संलग्न :– प्रपत्र

(आईरीन सिंथिया जे.पी.)
संचालक बजट
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
भोपाल दिनांक 25/11/2021

पृष्ठाकंन कमांक 1000 /955/2021/ब–1/ चार

प्रतिलिपि–

आयुक्त कोष एवं लेखा, भोपाल को आई.एफ.एम.आई.एस.साफटवेयर में आवश्यक व्यवस्था करने हेतु ।

25/11/21

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

द्वितीय अनुपूरक अनुमान 2021–2022 में सम्मिलित किये जाने वाले प्रस्तावों का प्रारूप (कृपया दिये गये प्रारूप में कोड,नाम आवश्यक रूप से भरें,) (तथा एक पत्रक पर एक ही योजना भरें) (यदि एक ही योजना (स्कीम) अलग–अलग, लेखा शीर्ष पर हो तो, तो भी उनके लिये अलग–अलग पत्रक का उपयोग करें, अपूर्ण प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जावेंगें । पत्रक भरने संबंधित संलग्न नियमों को ध्यान पूर्वक पढ़े।)

1. बजट शाखा तथा सहायक कोडः ______________________
2. विभाग (कोड तथा नाम) ______________________
3. बजट प्रस्तावक अधिकारी (कोड तथा नाम) ______________________
4. मांग संख्या ______________________
5. मुख्य शीर्ष ______________________
6. उप मुख्य शीर्ष ______________________
7. लघु शीर्ष ______________________
8. मतदेय/भारित ______________________
9. योजना (स्कीम) का नाम–(अधिकतम 20 शब्दों में) ______________________

9.1 योजना (स्कीम) का कोड

9.2 सेगमेंट (कोड तथा नाम) ______________________

कोड अवश्यक भरें) विकास शीर्ष (कोड तथा नाम) ______________________

10 योजना (स्कीम) का प्रकार– (जो लागू न हो उसे काट दें) नवीन/निरंतर/नवीन तथा निरंतर

11. फण्ड के स्त्रोतः–

	प्रतिशत	राशि
राज्यांश		
केन्द्रांश		
अन्य		

प्रयोजन हेतु व्यय की मदें

(राशि रूपयों में)

उदेश्य शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	विवरण	वित्तीय वर्ष 2020–21 का कुल प्रावधान (वजट अनुमान +अनुपूरक +पुनर्विनियोजन)	वित्तीय वर्ष 2020–21 का कुल व्यय	वित्तीय वर्ष 2021 –22 में अब तक कुल प्रावधान (बजट अनुमान +पुनर्विनियोजन+ प्रथम अनुपूरक)	दिनांक 24.11. 2021 तक कुल व्यय	अतिरिक्त आवश्यक राशि	स्वीकृत (वित्त विभाग के उपयोग हेतु)
		योग						

12. आकस्मिकता निधि से लिया गया अग्रिम ______________________

13. बाह्य स्त्रोतों से प्राप्त सहायता/ऋण
(स्त्रोत (केन्द्र/नाबार्ड/एल.आई.सी./विदेशी सहायता/अन्य) ______________________
(कृपया नाम लिखें)

14. यदि बचत द्वारा हो तो कृपया पूर्ण विवरण निम्नानुसार दें. ______________________

14.1 पुनर्विनियोजन/समर्पण/बचत की मांग संख्या ______________________

14.2 पुनर्विनियोजन/समर्पण/बचत का मुख्य शीर्ष ______________________

14.3 सेगमेंट (कोड तथा नाम) ______________________

14.4 मतदेय/भारित ______________________

14.5 बचत की राशि ______________________

14.6 बजट द्वारा उपलब्ध आवंटन ______________________

15. सक्षम वित्तीय समिति से अनुमोदित है या नहीं (हॉ/नहीं) ______________________

16. क्या योजना की निरंतरता प्राप्त है (हॉ /नहीं) ______________________

(संक्षेपिका का विवरण अधिकतम 200 शब्दों में कम्प्यूटर पत्रक के साथ ही संलग्न करें)

बजट नियंत्रण अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी (प्रशासकीय विभाग)